न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा केम्प सराणा

पीठासीन अधिकारी :– भागीरथ राम R.A.S.

राजस्व प्रकरण सं. 406 / 2017

प्रार्थी

हीराराम पुत्र लाखाराम जाति गुरू निवासी सराणा तह. पचपदरा

विप्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र चनणाराम
2. सांवलराम पुत्र चनणाराम
3. सीताराम पुत्र चनणाराम
4. भंवरलाल पुत्र मोड़ाराम जाति गुरू
5. अर्जुनराम पुत्र मोड़ाराम गुरू
6. हस्तीमल पुत्र मोड़ाराम जाति गुरू
7. दुदाराम पुत्र राणाराम मेगवाल
8. अमराराम पुत्र शिवाराम राईका
9. भोपाराम पुत्र गुणेशाराम राईका
10. ढलाराम पुत्र मंगलाराम गुरू
11. गोबरराम पुत्र मंगलाराम गुरू
12. भाखराराम पुत्र भेराराम रबारी
13. टपाराम पुत्र भेराराम रबारी निवासीयान सराणा तह. पचपदरा
14. तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भु.रा. अधिनियम 1956

हेतु पैमाईश जरिये पत्थरगड्ढी

आदेश दिनांकः 27.06.2018

उपस्थित :–

प्रार्थी स्वंय एवं वकील श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण की ओर से

श्री विप्रार्थी सं. 01 व 03 स्वंय उपस्थित।

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल. आर एक्ट का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 993 / 381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा, खसरा सं. 1470 / 327 रकबा 8 बीघा, खसरा सं. 1471 / 322 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा तथा मुल खसरे से रास्ते हेतु छोड़ी गयी भुमि खसरा सं. 1468 / 381 रकबा 17 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता सरहद मौजा सराणा पटवार हल्का सराणा, तहसील पचपदरा में आयी हुई है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेतों के विप्रार्थीगण पडौसीयान है, विप्रार्थीगण का खेत प्रार्थी के खेत के पास ही आया हुआ है, जिस कारण हमेशा खेत की सीमा चिन्हों बाउण्डरियों को लेकर विवाद होता रहता है। विप्रार्थीगण को सहमति से नेखम पेमाईश करवा कर सीमा चिन्हों को लेकर हमेशा होने वाले विवादों को निपटाने हेतु कहा किन्तु विप्रार्थीगण ने प्रार्थी की समझाईश की ओर कोई ध्यान नही दिया, उल्टे प्रार्थी की कृषि भूमियों के रकबे पर अतिक्रमण हेतु अमादा हुए जिस पर प्रार्थी ने बुजुर्ग मौजिज लोगो से समझाईश करवाई, किन्तु विप्रार्थीगण ने कोई बात नही मानी एवं अपनी जिद्द पर अड़े रह कर प्रार्थी के खेतों के चारो तरफ बने सीमा बाउण्डरी को नष्ट करने को उतारु है। जिस हेतु श्रीमानजी के समक्ष वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र से पहले प्रार्थी ने श्रीमान उपतहसीलदार साहब जसोल के आदेश क्रमांक 47 / 11.05.2017 की पालना में सीमाज्ञान भी दिनांक 20.05.2017 को करवाया, किन्तु विप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए, ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी भुमि का पुख्ता नाप करवाकर, पक्की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी सं. 01 ता 03 की ओर से वकील ने न्यायालय में उपस्थिती दी, तथा विप्रार्थी सं. 08 व 09 को प्रार्थी द्वारा तर्क कर दिया गया, दिगर विप्रार्थीगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

पत्रावली केम्प कोर्ट सराणा में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई, प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 01 ता 03 उपस्थित हुए, दिगर विप्रार्थीगण बावजुद सुचना अनुपस्थित रहे।, हमने प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 01 ता 03 को सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, सीमाज्ञान फर्द का अवलोकन व अध्ययन किया व मजमें आम में चर्चा की।

प्रार्थी ने माफिक इस्तदुआ प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया, तथा विप्रार्थी सं. 01 ता 03 ने नाप पैमाईश करने हेतु सहमति दी, साथ ही विप्रार्थी सं. 01 ता 3 ने यह भी निवेदन किया कि विप्रार्थी सं. 01 ता 03 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 323 रकबा 04.04 बीघा, खसरा सं. 1473/322 रकबा 05.04 बीघा, खसरा सं. 1474/319 रकबा 01.15 बीघा मौजा सराणा की भी नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी की जावे। पक्षकारान् की ओर से जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये उससे यह स्पष्ट है, कि प्रार्थी खसरा सं. 993/381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा, खसरा सं. 1470/327 रकबा 8 बीघा, खसरा सं. 1471/322 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा के खातेदार है, तथा विप्रार्थी सं. 01 ता 03 खसरा सं. 323 रकबा 04.04 बीघा, खसरा सं. 1473/322 रकबा 05.04 बीघा, खसरा सं. 1474/319 रकबा 01.15 के खातेदार है, तथा मौके पर विवाद का निस्तारण करने हेतु नाप पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करवाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा सं. 993/381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा, खसरा सं. 1470/327 रकबा 08 बीघा, खसरा सं. 1471/322 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा सराणा पटवार हल्का सराणा, पचपदरा की लटटा ट्रेस में तरमीम अनुसार सीमाज्ञान नाप जरीये पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कानाना को भू–मापक आयुक्त नियुक्त किया जाता है, भू–मापक आयुक्त को निर्देश दिया जाता है, कि अपने स्तर पर टीम गठित कर उक्त भूमियो की स्थाई बिन्दुओ से नाप कर बाद नाप मौके पर पत्थरगढ़ी कर न्यायालय में पालना रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत करे। मुल खसरे से रास्ते हेतु छोड़ी गयी भुमि खसरा सं. 1468/381 रकबा 17 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता का भी नाप किया जावे। साथ ही विप्रार्थी सं. 01 ता 03 की भूमि खसरा सं. 323 रकबा 04.04 बीघा, खसरा सं. 1473/322 रकबा 05.04 बीघा, खसरा सं. 1474/319 रकबा 01.15 मौजा सराणा की भी पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज तारीख 27.06.2018 को केम्प कोर्ट सराणा में सुनाया गया ।

(भागीरथ राम R.A.S.)
भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.)
बालोतरा

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

Scanned by CamScanner